//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 110 / 2021

उनवान

रतना पुत्र सुवा जाति खारोल निवासी तिलाना, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.6.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना की निम्न आराजी वादी की नियमनशुदा है :–

वर्किंग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
1481	38–15–00 में से 10–0–00	1459	3.37 में से 1.60

चौसाला खसरा नम्बर 822 के वर्किंग खसरा नम्बर 1481 रकबा 38–15–0 मेंसे 10–00–00, का आवंटन दिनाक 07.08.1975 को वादी रतना पुत्र सुवा खारोल को ग्राम तिलाना में किया गया। उक्त आवंटन का वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण स्वीकार कर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन दिनांक से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व रेकार्ड में हाल खसरा नम्बर 1459 रकबा 3.37 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया अतः हाल खसरा नम्बर 1459 में से 1.60 आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्किंग जमाबदी में उक्त आराजी बिना किसी नामान्तकरण के दर्ज हुयी है इसलिये बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी सही रूप से सिवायचक दर्ज की है। वर्तमान रेकार्ड में [illegible] भूमि [illegible] दर्ज होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। अतः वाद खारिज किया जावे। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा वादी को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ? -- वादी

3. आया आराजी मुतनाजा सिवायचक होने के कारण वाद खारिज योग्य है ? -- वादी

4. अनुतोष ? -- प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी रतना पुत्र सुवा के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार कार्यालय उप जिला अधिकारी, अजमेर के आदेश कंमाक/आंवटन/12(2)/75/42 दिनांक 12.8.1975 द्वारा ग्राम तिलना के चौसाला खसरा नम्बर 822 वेंर्किग खसरा नम्बर 1481 रकबा 10-00-00 की आराजी वादी रतना पुत्र सुवा को आवंटित की गयी। वादी को उक्त आराजी का आवंटन पट्टा भी जारी किया गया है। उक्त आवंटन की पलना मेंवर्किग खसरा नम्बर 1481 रकबा 10-00-00 वादी के नाम वंगि जमाबंदी में दर्ज किया गया। किन्तु उक्त जमाबंदी में आवंटन का नामान्तकरण दर्ज नही की सीधे ही नोट अंकित कर दिया जिस कारण हाल राजस्व अभिलेख मे उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन वादी रतना पुत्र सुवा को हुआ है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। तनकी संख्या 1 बहक वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 व 3 :- तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादी को विधिवत किया गया । वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के आवंटन का अमल दरामद नामान्तकरण द्वारा नही किये जा कर सीधे ही आवंटन का नोट अंकित करने से बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त नोट को हाल राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नही किया गया जिस कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय नामान्तकरण दर्ज [illegible] त्रुटि हेतु वादी जिम्मेदार नही है। वादी को उक्त आराजी का विधिवत [illegible] था जो वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज व साक्ष्य से सिद्व [illegible] स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल [illegible] कारण से वादी के नाम दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल [illegible] चक दर्ज होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय मे पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही की है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 822 वंर्किग खसरा नम्बर 1481 रकबा 38–15–00 के हाल चखसरा नम्बर 1459 रकबा 3.37, 1460 रकबा 2.00 व 1465/4621 रकबा 0.90 बने है। उक्त तीनो खसरा नम्बर हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक खाते में दर्ज है। वादी ने दौराने बहस कथन किया है कि उक्त तीनो खसरा नम्बर में से उसका कब्जा हाल खसरा नम्बर 1459 रकबा 1.60 पर है अतः उसे उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी दिये जावे। किन्तु वादी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे साथ ही वादी के आवंटन की पालना भी विधिवत तरीके से वंर्किग जमाबंदी में नही की गयी ऐसी स्थिति में वादी इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 1459 रकबा 1.60 पर वादी का वाद इस आशय से"**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतना बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 110/2021
पेश करने की दिनांक – 2.9.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 1459 रकबा 1.60 पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— – —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 06 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:07 IST
Reason: SelfAttested